A Latera

<u>आपराधिक प्रक0क्र0 7</u>00295 / 16

संस्थित दिनाँक-02.06.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

विजेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र गोपतिसिंह जाटव उम्र 33 वर्ष निवासी नगर निगम कॉलोनी ग्वालियर थाना माधवगंज हाल जेल रोड गोहद, बलवीर राठौर का मकान

.....अभियुक्त

__: निर्णय ::-(आज दिनांक 05.07.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 304ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 10.02.2016 को करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर रोड सर्वा के सामने बस स्टैण्ड पर बस कमांक एम0पी0 06 बी0—1746 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आशाराम को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.02.16 को शाम करीब 7:30 बजे फरियादी सुरेशिसंह माहौर व उसका लड़का मायाराम तथा साला आशाराम माहौर मालनपुर फैकट्री से मजदूरी करके अपने गांव सर्वा बस कमांक एम0पी0—06 बी0—1746 में बैठकर आए और बस स्टैण्ड पर फरियादी व मायाराम बस से उतरकर खड़े हुए। आशाराम बस से उतर रहा था तभी उक्त बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर आशाराम के उपर चढ़ा दिया जिससे आशाराम को पैरों में जांघ, कमर में गंभीर चोटें आई। कमलिसह मौके पर खड़ा था। इसके बाद आहत को हलाज हेतु गोहद अस्पताल लाए जहां से उसे ग्वालियर रैफर कर दिया। रास्ते में ही आशाराम की मृत्यु हो गयी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—33 / 16 पंजीबद्ध किया गया। मर्ग कायम किया गया। मृतक का शव परीक्षण कराया गया। दौराने अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा रंजिश के कारण एवं क्लेम प्राप्त करने के लिए झूंटा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.02.2016 को करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर रोड सर्वा के सामने बस स्टैण्ड पर मृतक आशाराम की मृत्यु आपराधिक मानव वध से भिन्न दुर्घटना में कारित हुई थी ?

2-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक एम0पी0 06 बी0-1746 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

3—क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर बस क्रमांक एम0पी0 06 बी0—1746 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर आशाराम को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेश अ०सा० 1, मायाराम अ०सा० 2, कमलिसंह अ०सा० 3 गेंदालाल अ०सा० 4, किशनलाल राठौर अ०सा० 5, रामकरन शर्मा अ०सा० 6, डा० एस०के० शुक्ला अ०सा० 7, दिलीप भटेले अ०सा० 8 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष//

6. फरियादी सुरेश अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना 10 फरवरी 2016 की शाम के 7:30 बजे की है। वे मालनपुर से फैक्ट्री से काम करके अपने साले आशाराम के साथ ग्राम सर्वा के लिए बस से आ रहे थे। जैसे ही आशाराम बस से उतरा तभी बस के चालक ने बस को एकदम से और लापरवाही से घुमा दी तो बस का पिहया आशाराम के पैरों के उपर से निकल गया। साक्षी यह कथन करते हैं कि आशाराम को एम्बुलैंस से गोहद लाए थे और शुरूआती इलाज के बाद ग्वालियर रैफर कर दिया था, किन्तु रास्ते में आशाराम की मृत्यु हो गयी। साक्षी घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। आशाराम के मृत्यु जांच संबंधी सफीना फार्म प्र0पी0 3 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। साक्षी मायाराम अ0सा0 2 भी घटना दिनांक 10.02.16 शाम 7–7:30 बजे की होना बताते हैं और कथन करते हैं कि वे मालनपुर से

लोडिंग गाडी से सर्वा आए थे और जब वे उक्त गाडी से उतरे तभी एक बस 1746 वहां आई। उसके पिता सुरेश उतरे, मृतक आशाराम उतर नहीं पाए तभी बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से बस चला दी जिससे बस का पिट्या आशाराम की कमर से निकल गया। उन्होंने फोन लगाया तो एम्बुलैंस और पुलिस आई और आशाराम को गोहद अस्पताल लाए जहां से ग्वालियर ले जा रहे थे तो रास्ते में आशाराम की मृत्यु हो गयी। यह साक्षी भी प्र0पी0 3 व 4 पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

- 7. कमलिसंह अ0सा0 3 जो घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, वह अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि घटना दिनांक 10.02.16 को शाम के 7—7:30 बजे की है। वह फैक्ट्री से काम करके वापस आ रहा था और सर्वा बस स्टैण्ड पर पहुंचा। बस रूकी तो बस से उतरा। उसके अलावा सुरेश, मायाराम और बाद में आशाराम उतरे। जब आशाराम उतर रहे थे तो बस चलने लगी जिससे आशाराम बस के नीचे गिर पड़े और पिछला पिहया आशाराम की कमर के उपर से निकल गया जिससे आशाराम वहीं डले रह गए और बस चली गयी। साक्षी यह कथन करते हैं कि उन्होंने 108 नंबर पर फोन लगाया तो गाड़ी आ गयी, उसके बाद आशाराम को सुरेश आदि जिंदा अस्पताल ले गए। वह पैसे लेने घर पर आ गया। जब पैस लेकर आया तो आशाराम को गोहद से ग्वालियर रैफर कर दिया। इस प्रकार से यह साक्षी भी मृतक आशाराम की दुर्घटना में घटना दिनांक 10.02.16 को चोटे कारित होने के संबंध में समर्थन करता है। गेंदालाल अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि ग्राम सर्वा के चौकीदार दुण्डा ने उन्हें सूचना दी थी कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसके उपर से पिहया फिर (निकल) गया है। साक्षी यह कथन करता है कि वह घटना स्थल पर पहुंचा, पुलिस की गाड़ी आ गयी जो उसके भाई को ले गयी जिसमें बैटकर वह अस्पताल आया। उसके बाद ग्वालियर जाते समय उसके भाई की मृत्यु हो गयी। साक्षी प्र0पी0 3 व 4 पर अपने अग्नेता लगाया जाना बताता है।
- 8. डा० एस०के० शुक्ला अ०सा० ७ यह कथन करते हैं कि दिनांक 10.02.16 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के सैनिक 276 चरनसिंह द्वारा मृतक आशाराम का शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। साक्षी यह कथन करता है कि दिनांक 11.02.16 को उनके द्वारा सुबह 10 बजे मृतक का शव परीक्षण किया था। बाह्य परीक्षण में यह पाया था कि उसके हाथ पैरों में अकडन आ चुकी थी, उसकी दाहिनी जंघा पर एक फटा हुआ घाव जिसका आकार 6 इंच गुणा 3 इंच तथा काफी गहरा था जिसमें से जांघ की हड्डी दिखाई दे रही थी। दाहिने घुटने, दाहिनी हथेली, दांयी छाती पर छिलन के निशान थे। आंतरिक परीक्षण में पाया उसकी नीचे की दाहिनी पसलियां टूटी हुई थी। दांया एवं बायां फेफडा पेल कलर के पाए थे। हृद्य के दोनों चैम्बर खाली थे। उदर की पैरीटोनियल

मेम्ब्रिज फओ एवं उदर गुहा में रक्त भरा हुआ था। आमाशय में अधपचा खाद्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में अधपचा खाद्य पदार्थ मौजूद था, बड़ी आंत में मल उपस्थित था। उसका लीवर फट चुका था व पेल कलर का था। प्लीहा तथा गुर्दा पेल कलर के थे। मृतक आशाराम की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से शॉक होने के कारण प्रतीत होती थी। मृत्यु का समय परीक्षण की अविध से 24 घण्टे के भीतर का था। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 10 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

9. प्रकरण में फरियादी सुरेश अ०सा० 1, साक्षी मायाराम अ०सा० 2, कमलिसंह अ०सा० 3, गेंदालाल अ०सा० 4 ने मृतक आशाराम की दुर्घटनाजिनत मृत्यु का कथन करते हुए प्राथमिकी प्र०पी० 1, प्र०पी० 3 व 4 के मृत्यु जांच को प्रमाणित किया है तथा चिकित्सक डा० एस०के० शुक्ला अ०सा० 7 द्वारा शव परीक्षण की रिपोर्ट प्र०पी० 10 के माध्यम से मृतक की कारित मृत्यु दुर्घटना जिनत होने के संबंध में सुसंगत राय दी है। चिकित्सीय साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य का समर्थन हो रहा है कि मृतक आशाराम की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप कारित हुई थी। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से मृतक आशाराम की मृत्यु दिनांक 10.02.16 को सडक दुर्घटना में कारित होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है, मात्र यह बचाव लिया है कि उसे झूंठा फंसाने के लिए तथा क्लेम प्राप्त करने के लिए साक्षीगण कथन करते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों व साक्ष्य के प्रकाश में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 10.02.16 को मृतक आशाराम की सडक दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या अभियुक्त के कृत्य के कारण मृतक की ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3 का निष्कर्ष //

10. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय बिंदुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। सुरेश अ०सा० 1 यह कथन करता है कि वह मालनपुर फैक्ट्री से काम करके अपने साले आशाराम के साथ ग्राम सर्वा बस से आ रहा था और जैसे ही आशाराम बस से उतरा तो बस के चालक ने बस को एकदम से और लापरवाही से घुमा दिया तो बस का पहिया आशाराम के पैरों के उपर से निकल गया। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में उक्त बस का नंबर 1746 बताता है जो ग्वालियर से गोहद के लिए आ रही थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में अस्मर्थ है कि उक्त बस को कौन चला रहा था। सूचक प्रश्न में साक्षी द्वारा पक्षविरोधी घोषित किए जाने के उपरांत स्वीकार किया गया कि उक्त बस का नंबर एम०पी०—06 बी—1746 था। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताता है कि उसने बस का नंबर अपनी आंखों से नहीं देखा, वहां पुलिस वाले फोटो खीच रहे थे उन्होंने नंबर बताया था तो उसने पर्ची पर लिख लिया था। साक्षी मायाराम अ०सा० 2 जो कि सुरेश अ०सा० 1 का पुत्र है, वह अपने मुख्य परीक्षण में हीं कथन करता है

कि बस का पहिया आशाराम की कमर से निकल गया और बस निकल गयी। कमलसिंह अ०सा० 3 भी यह बताते हैं कि बस का पिछला पहिया आशाराम की कमर से निकल गया जिससे आशाराम वहीं डले रह गए और बस चली गयी। साक्षी किशनलाल अ०सा० 5 जो कि अनुसंधानकर्ता हैं, वे अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0 7 के जब्ती पत्रक के अनुसार बस को जब्त करना बताते हैं। प्र0पी0 7 का जब्ती पत्रक दिनांक 11.02.16 को थाना गोहद चौराहा में लेख किया जाना तात्पर्यित है न कि घटना दिनांक 10.02.16 को घटनास्थल पर अभिकथित बस जब्त की गयी। ऐसे में सुरेश अ0सा0 1 द्वारा अभिसाक्ष्य में बस का नंबर पुलिस वालों के द्वारा फोटो खीचते समय बताए जाने के संबंध में विरोधाभास अभिलेख पर मौजूद है।

11. प्रकरण में सुरेश अ०सा० 1 के अतिरिक्त घटना के साक्षी मायाराम अ०सा० 2 तथा कमलसिंह अ०सा० 3 बताए गए हैं। प्र०पी० 1 की प्राथमिकी में मायाराम अ०सा० 2 का फरियादी सुरेश एवं मृतक आशाराम के साथ बस में यात्रा करना बताया गया है। सुरेश अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं करते कि मायाराम उसके साथ बस में यात्रा कर रहा था, बल्कि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि मायाराम उनके साथ काम करने नहीं गया था। साक्षी यह भी बताता है कि ग्राम सर्वा के बस स्टैण्ड पर उतरे तब बस में ग्राम सर्वा के तीन लोग थे। जिसमें बस में जो तीसरा लडका था उसका नाम वे नहीं जानते थे। पुनः इसी कण्डिका में स्पष्ट करते हैं कि घटना स्थल पर वे और आशाराम थे इसके अलावा और कोई नहीं था, स्वतः कथन करते हैं कि ग्राम सर्वा का चौकीदार तुरंत बाद आ गया था। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य मे उसके पुत्र मायाराम की घटना स्थल पर उपस्थिति का कोई कथन प्रतिपरीक्षण में नहीं करते हैं। मायाराम अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में यह बताते हैं कि वे एक लोडिंग गाडी से ग्राम सर्वा पर उतरे थे तभी बस नंबर 1746 वहां आई थी तो वे वहां रूक गए। बस से उसके पिता सुरेश उतरे और आशाराम उतर नहीं पाए तभी बस के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से चला दी जिससे बस का पहिया आशाराम की कमर से निकल गया और बस निकल गयी। साक्षी जो मुख्य परीक्षण में घटनास्थल पर उपस्थित होना बताते हैं वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में इंकार करते हैं कि वे अपने पिता और आशाराम के साथ मालनपुर से ग्राम सर्वा एक ही बस में आए हों। साक्षी पुलिस कथन डी० 2 में स्पष्ट रूप से इंकार करते हैं कि वे उक्त बस में बैठकर अपने पिता और आशाराम के साथ आए और उतरे हों। साक्षी प्र0डी० 2 में ए से ए भाग पर उक्त बात लिखाए जाने से इंकार करते हैं। उक्त दोनों साक्षी सुरेश अ०सा० 1 व मायाराम अ०सा० २ मृतक आशाराम के रिश्तेदार हैं। आशाराम के सुरेश बहनोई तथा मायाराम भानजा था, जैसा कि उनके द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया गया है। मायाराम अ०सा० २ भी अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में अरमर्थ है कि घटना के समय कौन वाहन चला रहा न यह

13. गेंदालाल अ०सा० 4 कथन के अनुसार घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, बिल्क चौकीदार द्वारा सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल पर पहुंचना बताता है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं हैं। इसके अतिरिक्त गेंदालाल अ०सा० 4 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में घटना में लिप्त वाहन बस एम०पी०—06 बी 1746 के संबंध में सुझाव से इंकार किया है और इस तथ्य से भी इंकार किया है कि वह अभिकथित बस में बैठा था जिससे उतरते समय आशाराम को मृत्यु कारित करने योग्य चोटें कारित हुई। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि साक्षी क० 1 लगायत 4 मृतक आशाराम के संबंधी व उसके

परिवार के हैं। अभिकथित घटना में बस से दुर्घटना कारित होना बताई है फिर भी बस को कोई भी यात्री या घटनास्थल के आसपास रहने वाला या मौजूद स्वतंत्र व्यक्ति अभियोजन का साक्षी नहीं बनाया गया है और न हीं किसी स्वतंत्र साक्ष्य से यह तथ्य समर्थित है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को सुसंगत समय पर बस को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया था।

- 14. अभियोजन की ओर से दिलीप मटेले अ0सा0 8 को प्रस्तुत किया गया, जो कि वाहन के स्वामी हैं, उक्त साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि दिनांक 10.02.16 को कथित बस एम0पी0—06 बी 1746 कौन चला रहा था। साक्षी इस तथ्य की जानकारी होने से अनिभन्नता प्रकट करता है कि दिनांक 10.02.16 को उक्त बस से कोई दुर्घटना कारित हुई थी। साक्षी को पक्षिवरोधी घोषितकर उससे भी दिनांक 10.02.16 को शाम 7:30 बजे बस एम0पी0—06 बी—1746 को अभियुक्त ब्रजेन्द्र द्वारा चलाए जाने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर साक्षी ने उक्त सुझाव से इंकार किया है। प्रमाणीकरण प्र0पी0 8 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए हैं, किन्तु प्रमाणीकरण साक्षी की हस्तिलिप में नहीं हैं और उक्त प्रमाणीकरण के संबंध में जानकारी का अभाव बताया है। प्रमाणीकरण प्रपी0 8 के अभिलेख पर होने पर भी साक्षी दिलीप अ0सा0 8 के अभिसाक्ष्य में कथन कि अभियुक्त ही वाहन चला रहा हो, इसका समर्थन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दिलीप अ0सा0 8 घटनास्थल का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। ऐसे में उसकी अभिसाक्ष्य की पुष्टि के बिना दोषसिद्धि किया जाना सुरक्षित नहीं हैं। रामकरन अ0सा0 6 औपचारिक रूप से जब्तशुदा वाहन बस एम0पी0 06 बी 1746 के मैकेनिकल जांचकर्ता हैं, जिनके द्वारा वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना संबंधी चिन्ह पाए जाने की पुष्टि नहीं की है।
- 15. प्रकरण में उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य अवश्य प्रमाणित होता है कि दिनांक 10.02.16 को सांय करीब 7:30 बजे सर्वा बस स्टैण्ड पर मृतक आशाराम की दुर्घटना कारित हुई जिसके फलस्वरूप उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती, किन्तु अभिकथित दुर्घटना अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण कृत्य का परिणाम थी, के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन

अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.02.2016 को करीब 19:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर रोड सर्वा के सामने बस स्टैण्ड पर बस क्रमांक एम0पी0 06 बी0—1746 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से सार्वजनिक मार्ग पर चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आशाराम को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती। । अतः अभियुक्त को धारा 279 व 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 16. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं। धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह अपील न्याायलय के समक्ष उपस्थिति के अधीन रहने तक प्रभावी रहेगे।
- 17. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।
 निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
 मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

WIND SIND PAROTO SUNT